House on April 7, 1967. All these points will be examined in detail by the Public Accounts Committee. It would not be appropriate for Government to make a statement on these matters till they are examined by the Committee.

Recovery from Firms

1398. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) the circumstances in which the loss of Rs. 1.46 lakhs in importing 15,000 tons of tin has been met by Government themselves instead of charging it from the indentors;

(b) whether sanction therefor has been obtained from the Central Government and whether an investigation has been made to fix the responsibility in the matter; and

(c) if so, the decision taken in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The points mentioned in the question find a place in the Audit Report (Civil) 1967, which was placed on the Table of the House on April 7, 1967. All these points will be examined in detail by the Public Accounts Committee. It would not be appropriate for Government to make a statement on these matters till they are examined by the Committee.

मोटर कारों का ले जाया जाना

1399. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों में मोटर कारों का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय कारखाने से बिक्री के स्थान तक सड़क द्वारा मोटर कार ले जाने की अधिकतम लागत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) क्या ले जाने की लागत दूरी के अनुपात से निर्धारित की जाती है और यदि नहीं, तो क्या विक्रेता कारखाने से निकलते समय के मूल्य में मोटरकार ले जाने की जितनी लागत जोड़ना चाहें, जोड़ सकते हैं ;

(ग) पटना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में फिएट, अम्बैसेडर और स्टैंडर्ड नामक कारों के निर्धारित मूल्य क्या हैं; और

(घ) क्या इन मोटर कारों के साथ दिये जाने वाले औजारों की किस्म और उपयोगिता आदि की जांच की जाती है और यदि कोई ग्राहक इन औजारों को न लेना चाहे, तो क्या इनका मूल्य उसे लौटाया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भारत सरकार मोटर कारों के कारखाने से चलते समय के खुदरा मूल्य की ही स्वीकृति देती है । निर्माताओं को कारखाने से चलते समय के मूल्य में अनेक स्थान के वास्तविक खर्च को जोड़ने की अनुमति है। यह स्वाभाविक रूप से हर स्थान का अलग-अलग होता है और यह सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया जाता।

(ग) जैसा कि पहले बताया गया है सरकार द्वारा स्वीकृत कीमतें कारखाने से चलते समय की कीमतें हैं, देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित केन्द्रों अथवा प्रदर्शन कक्षों से बाहर चलते समय की कीमत नहीं हैं।

(घ) सरकार कारों के साथ दिये जाने वाले औजारों की किस्म अथवा उपयोगिता आदि की जांच नहीं करती। सरकार द्वारा कारों के साथ दिए जाने वाले औजारों की